प्रेस नोट   पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद   दिनांक 16.04.2025

प्रेस नोट

पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद के तीनों जोन के सभी थाना क्षेत्रों में दिनांक 15.04.25 को शाम 06:30 बजे से लेकर 10:00 बजे तक शराब ठेकों के आसपास व सड़क के किनारे सार्वजनिक स्थानों पर शराब का सेवन करने वाले व्यक्तियों की चेकिंग का एक सघन अभियान चलाया गया, जिसमें ऐसे 528 व्यक्तियों को, जिनके द्वारा सार्वजनिक रूप से खुलेआम सड़क पर शराब का सेवन किया जा रहा था, जिससे वहां आने जाने वाले राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था, उक्त सभी को हिरासत में लेकर थाने लाया गया व उनका मेडिकल कराते हुए 34 पुलिस एक्ट के अंतर्गत चालान किया गया। इस अभियान में सभी सहायक पुलिस आयुक्त, थाना प्रभारी व चौकी प्रभारियों के द्वारा विभिन्न स्थानों पर चेकिंग की गयी।

जोनवार चालान की स्थिति निम्नवत रही –

नगर जोन-219 , ट्रांस हिंडन जोन-147 , तथा ग्रामीण जोन-162 कुल -528 व्यक्तियों के विरुद्ध 34 पुलिस अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही अमल में लाई गयी।

थाना वेव सिटी पुलिस द्वारा चोरी की घटना कारित करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की घटना से सम्बन्धित 21630/- रूपये बरामद।

दिनांक 21.07.2024 को थाना वेव सिटी पर वादिया द्वारा तहरीर दी गयी कि अज्ञात चोर द्वारा रात्रि में वादिया के घर का ताला तोड़कर घर के अंदर रखी अलमारी से ज्वैलरी व नकदी चोरी कर ले जाना जिसके सम्बन्ध में थाना वेव सिटी पर तत्काल धारा-331(4)/305 बीएनएस में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा घटना के अनावरण हेतु टीम गठित की गई।

तत्पश्चात थाना वेव सिटी पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त घटना में प्रकाश में आये अभियुक्त बादल पुत्र सन्तराम निवासी ग्राम जौली थाना सिकन्दराबाद जनपद बुलन्दशहर उम्र 41 वर्ष को मय चोरी की गई ज्वैलरी बेचकर लिये गये पैसे 21630/- रुपये सहित दिनांक 15.04.2025 को समय 22.47 बजे गिरफ्तार किया गया। बरामदगी के आधार पर उपरोक्त अभियोग में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी, अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण:-

पूछताछ के दौरान अभियुक्त द्वारा बताया गया कि मैं ड्राइविंग का काम करता हूँ तथा मैं नशा करने का आदी हूँ, नशा करने के लिए मुझे पैसों की जरुरत पड़ी थी जिसके लिए मैनें मौका पाकर एक बंद पड़े मकान में चोरी की थी तथा चोरी का सामान बेचकर अपने शौक पूरा करने लगा था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम/पता-

बादल पुत्र सन्तराम निवासी ग्राम जौली थाना सिकन्दराबाद जनपद बुलन्दशहर, उम्र 41 वर्ष

आपराधिक इतिहास-

अभियुक्त के विरूद्ध थाना जहाँगीराबाद जनपद बुलन्दशहर में हत्या कारित करने के सम्बन्ध में एवं आला कत्ल बरामदगी के सम्बन्ध में 02 अभियोग पंजीकृत है एवं थाना वेव सिटी पर चोरी का 01 अभियोग पंजीकृत है, अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली टीमः-

थाना वेव सिटी पुलिस टीम

थाना मसूरी पुलिस द्वारा हत्या के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, घटना में प्रयुक्त एक तमंचा 315 बोर मय एक जिन्दा व खोखा कारतूस व एक हथौड़ा बरामद।

दिनांक 15.04.2025 को जनता से पुलिस को सूचना मिली कि एसआर गार्डन के पास रफीकाबाद में एक व्यक्ति की हत्या हो गयी है। इस सूचना पर पुलिस मौके पर पहुँची तो घटनास्थल एक मकान के अन्दर का है जो कन्नी बनाने का कारखाना है जिसमें एक व्यक्ति खून से लथपथ मृत अवस्था में पड़ा था मौके पर जानकारी करने पर पता चला कि जो व्यक्ति मृत अवस्था में पड़ा है उसका नाम अफजल पुत्र सत्तार है जिसे उसके सगे भतीजे तालिब पुत्र असलम निवासी मयूर विहार थाना मसूरी जिला गाजियाबाद ने अपने किराये के कन्नी कारखाने में हथौडे से मार पीट की व गोली भी चलाई जिसमें अफजल की मृत्यु हो गयी। घटना के सम्बन्ध में उच्चाधिकारीगणों को अवगत कराया गया तथा मौके पर फील्ड यूनिट को बुलाकर आवश्यक कार्यवाही करायी गयी व पंचायतनामा की कार्यवाही कर शव को वास्ते पोस्टमार्टम मोर्चरी गाजियाबाद भिजवाया गया तथा वादी श्री सत्तार पुत्र मजीद निवासी डासना नियर लुहार वाली मस्जिद थाना वेवसिटी गाजियाबाद की तहरीर के आधार पर थाना मसूरी पर मु0अ0स0-103/25 धारा – 103(1) बीएनएस पंजीकृत किया गया है। अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु टीमें गठित की गयी। तत्पश्चात मुखविर की सूचना पर वाँछित अभियुक्त तालिब उपरोक्त को ननकागढ़ी चौराहे से गोविन्दपुरम की ओर जाने वाली सड़क पर बन्द पड़े लकड़ी के कारखाने के पास से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण –

अभियुक्त तालिब उपरोक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि वह कन्नी बनाने का काम करता है तथा 05 वीं पढ़ा लिखा है व हम 03 भाई हैं तथा मैं कन्नी बनाने का काम रफीकाबाद में करता हूँ। हमारा हमारे चाचा अफजल से पुरानी पैतृक मकान आदि का विवाद पूर्व से चला आ रहा है। इसी मनमुटाव के चलते कल दिनांक 15.4.25 को दोपहर में मेरा चाचा अफजल रफीकाबाद मेरे कन्नी बनाने के कारखाने में आया व बँटवारे के विवाद को लेकर मुझसे वाद विवाद करने लगा। इसी वाद विवाद के दौरान हमारा झगडा ज्यादा बढ गया मैने वही पर रखे हथौड़े से उसके सिर में कई बार कर दिये जिससे वह गिर गया व वाद में मैने मेरे पास जो तमन्चा था उससे भी फायर किया और मैने अपने चाचा अफजल की हत्या कर दी।

बरामदगी का विवरण

1-घटना में प्रयुक्त एक अदद तमंचा 315 बोर मय एक अदद जिन्दा व खोखा कारतूस

2- घटना में प्रयुक्त एक अदद हथौड़ा

पंजीकृत अभियोग व अभियुक्त का आपराधिक इतिहास

अभियुक्त तालिब पुत्र असलम निवासी डासना नियर लुहार वाली मस्जिद थाना वेवसिटी गाजियाबाद के विरुद्ध थाना मसूरी पर मु0अ0स0-103/25 धारा – 103(1) बीएनएस व 3/25 एएक्ट पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम –

थाना मसूरी पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद।